>

Title: The Minister of Rural Development laid the statement regarding Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2008-09), pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development on Demands for Grants (2008-09), pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं उपरोक्त विषय पर अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

मैं यह वक्तव्य, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क, जिसे दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II के द्वारा जारी किया गया था, के अनुपालन में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के छत्तीसवें (36वें) प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का छत्तीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 17 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसाधन विभाग की वÂाऩ 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगों की समीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवदेन में 24 सिफारिशें शामिल हैं। समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 26.08.2008 को भेजी गई थी।

ये सिफारिशें मुख्यतः भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, वाटर शेड विकास के संबंध में नई योजनाओं को कार्यान्वित करने, भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत/अद्यतन करने तथा ग्यारहवीं पंचवÂाावय योजना के दौरान बायो-ईंधन योजना को आरम्भ करने से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य, जिसे सभा पटल पर रखा गया है, के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, see No. LT- 9542/2008

-